संख्या- 19/2023/472/30-1099-22-2022

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 04 जुलाई, 2023

विषय:- बस स्टेशन महराजगंज का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 503 बी/डीए/पूर्व/23-17जेईटी/वि0/17-18, दिनांक 28.04.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-07/2021/124/तीस-1-2021, दिनांक 08.02.2021 द्वारा बस स्टेशन महराजगंज का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण हेतु धनराशि रू0 682.06 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 110.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-01/2023/472/तीस-1-2022, दिनांक 13.01.2023 व सपठित शुद्धि-पत्र संख्या-03/2023/120/तीस-1-2023, दिनांक 02.02.2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है। उक्त परियोजना हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया हे।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2023 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत बस स्टेशन महराजगंज का उच्चीकरण/सुन्दरीकरण/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 682.06 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 372.06 लाख (रूपये तीन करोड़ बहत्तर लाख छः हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु तृतीय व अन्तिम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
(4) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ज-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
(8) प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
(9) कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता- एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(12) प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम को होगा।

(13) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(14) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।

(15) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 07/2021/124/तीस-1-2021, दिनांक 08.02.2021 तथा शासनादेश संख्या- 01/2023/472/तीस-1-2022, दिनांक 13.01.2023 व सपठित शुद्धि-पत्र संख्या-03/2023/120/तीस-1-2023, दिनांक 02.02.2023 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या– E-9-12-X-2023-24 दिनांक: 30-6-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या- 19 /2023/472/30-1099-22-2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।